हुक्म तामील नंबर व तारीख

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर, जिला - पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री ऋषभ मंडल I.A.S.

राजस्व विविध संख्या 52/2018
प्रार्थना पत्र दायर तिथि 29.06.2018

प्रार्थीगण :–
1. हंसाराम पुत्र पकारामजी आयु बालिग
2. सेसाराम पुत्र पकारामजी आयु बालिग
3. श्रीमति भीखी विधवा पकारामजी आयु बालिग
   जाति–चौधरी निवासी चाणौद तहसील सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान

अप्रार्थीगण :–
1. लालाराम पुत्र पकारामजी आयु बालिग
2. गेनाराम पुत्र नथाजी आयु बालिग
3. मगीया पुत्र देवा आयु बालिग जातिगण चौधरी तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज
4. .राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः श्री हिम्मत धनेरा, सुरेन्द्रसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी अधिवक्ताः श्री जगदीष चौधरी, मूलसिंह देवडा

:: आदेश ::

निर्णय दिनांकः– 09.09.2021

1. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :– मौजा चाणौद चक 2 में प्रार्थीगण के एवं अप्रार्थीगण सं. 1 के दादा एवं अप्रार्थीगण सं. 2 के पिंता नथा पुत्र मोतीजी के नाम पुश्तैनी खातेदारी भूमि आयी हुई स्थित थी। जिसका विवरण निम्नानुसार है

क्र. स.	खाता सख्या		खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
	नये	पुराने			
1.	586	567	[illegible] पुत्र पकाराम	3287	1.12 है.
2.	640	592	[illegible] हंसा [illegible] सेसा [illegible] 1/2 [illegible] हिस्सा पिता पकीया भीकी पत्नि	1285 1332	3.11 है. [illegible]83

Signature Not Verified
Digitally signed by Rishav Mandal
Date: 2022.01.12 10:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)

1.87 हैक्टर

	पर्वीरा		
	मेना पुत्र पथा	1280	1.00 है
		1847	0.07 है
	मेना पुत्र पथा	3287 / 1	1.13 है
	मेना पुत्र पथा	1928	4.71 है
		3374	1.28 है
	भीकी बेना पर्वीरा	1921	1.10 है
	गाला हरा सोरा मोहन	1929	1.19 है
		2451	0.01 है
	भीकी बेना पर्वीरा	3103	0.01 है
	गाला हरा सोरापुत्र पर्वीरा	3370	0.80 है
3	गाला पुत्र पर्वीरा	1922 / 1	0.48 है

इस प्रकार कुल भूमि [illegible] किता मालि [illegible] है सम्मिलित रूप से पुराने खाते में थी जिसमें काश्तकार 1 2 मेना पुत्र पथाजी एवं 1 2 एवं पर्वीरा पुत्र पथाजी के नाम होने से दोनों पक्षों के बराबर [illegible] है होनी चाहिए परन्तु वर्तमान रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं 1 के नाम सभी खाते मिलाने पर मात्र [illegible] हैक्टर है। अप्रार्थी सं 2 के नाम 3.96 हैक्टर है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण सं 2 के नाम करीब [illegible] है भूमि अधिक है। तथा मौके पर कब्जा काश्त भी खातेदारी अनुसार नहीं होकर सम्मिलित है। जिससे पुनः सम्पूर्ण भूमि एकत्रित कर बंटवारा बाई मिंटस एण्ड बाउण्ड्स करना आवश्यक है। वादी द्वारा निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित नये खसरा नम्बर 3287, 1285, 1332, 1250, 1847, 3672, 1927, 3287 / 1, 1928, 3374, 1921, 1929, 2451, 3103, 3370, 1922 / 1 की सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण को एवं उसके प्रतिनिधियों को दखल अंदाजी करने से रोके जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद लिखित जवाबदावा पेश नहीं किया गया। पत्रावली पुनः दिनांक 23.02.2021 को पेश हुई वकील प्रतिवादी 1 2 उप. । वकीलवादी उप. । वकील वादी एवं प्रतिवादी 1 2 एवं वकील प्रतिवादी 3 द्वारा मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् सहमति प्रदान की।

3. हमने उभयपक्ष वकीलगणों की बहस सुनी।

4. हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन किया। अधिवक्तागण के कथन पर एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जवाब दावा इत्यादि पर विचार विमर्श किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को सिद्ध करना होता है।

   1. प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन खसरा नम्बर 3287, 1285, 1332, 1250, 1847, 3672, 1927, 3287 / 1, 1928, 3374, 1921, 1929, 2451, 3103, 3370, 1922 / 1 ग्राम चाणोद चक 2 के राजस्व रेकर्ड मे अंकित है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज है।

5. चूंकि उभयपक्ष द्वारा विवादित आराजी मे मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमति प्रदान की है अतः तहसीलदार सुमेरपुर एवं उभयपक्षों को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी कि मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rishav Mandal
Date: 2022.01.12 10:59:32 IST
Reason: SelfAttested

(I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)